कार्यालय अपर निदेशक, संजय गॉधी पी0जी0आई0, लखनऊ।

संख्याः पी0जी0आई0/अ0नि0/1192 /2025 दिनॉकः 24.9.2025

कार्यालय आदेश

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में विभिन्न इंजीनियरिंग कार्य एवं अन्य उपकरण क्रय इत्यादि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की वर्तमान प्रकिया के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनॉक 18/9/2025 में दिये गये निर्देश के कार्यवृत्त सं0 I/1095424/2025/71–2099 (099)/3/2025 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2,उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यवृत्त का सार–संक्षेप निम्नवत हैः–

1. एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री, प्राप्त की जाने वाली सेवाऐं तथा निर्माण कार्य आदि की आवश्यकता के आंकलन का प्रस्ताव अपर निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, के माध्यम से निदेशक महोदय को प्रेषित किया जायेगा। निदेशक महोदय की सहमति के उपरान्त वित्तीय नियमों के अनुसार क्रय की कार्यवाही की जायेगी।
2. तत्पश्चात वित्त विभाग द्वारा प्रश्नगत सामग्री, सेवा तथा निर्माण कार्य आदि के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव अपर निदेशक के माध्यम से निदेशक के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. किसी ऐसे प्रकरण पर जिस पर शासन के वित्त विभाग के परामर्श की आवश्यकता प्रतीत होती है तो निदेशक द्वारा सुसंगत प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग (चिकित्सा शिक्षा) को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायें।

23.9.25

(कृतिका शर्मा)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, संजय गॉधी पी0जी0आई0।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संजय गॉधी पी0जी0आई0।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, संजय गॉधी पी0जी0आई0।
4. संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन), संजय गॉधी पी0जी0आई0।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), संजय गॉधी पी0जी0आई0।
6. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी पी0जी0आई0।
7. फैकल्टी इंचार्ज (इंजीनियरिंग), संजय गॉधी पी0जी0आई0।
8. विभागाध्यक्ष, बायोस्टटिक्स एवं हेल्थ इनफारमेटिक्स (बी0एच0आई0,) को संस्थान की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

23.9.25

(कृतिका शर्मा)
अपर निदेशक

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में विभिन्न इंजीनियरिंग कार्य एवं अन्य उपकरण क्रय इत्यादि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों की वर्तमान प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिनांक 18.09.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

....

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. डा0 आर0के0 धीमन, निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
2. सुश्री कृतिका शर्मा, अपर निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
3. श्री प्रकाश सिंह, संयुक्त निदेशक (सामग्री एवं प्रबन्धन) एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
4. श्री शशि भूषण सिंह तोमर, वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. श्री आर0डी0 शर्मा, वरिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7. श्री पी0सी0 गुप्ता, वरिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
8. श्री आदर्श श्रीवास्तव, लेखा अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।

बैठक में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में विभिन्न इंजीनियरिंग कार्य एवं अन्य उपकरण क्रय इत्यादि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों की वर्तमान प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपर निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 तथा संस्थान के अन्य अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया।

2- बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मत तथा उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त निम्न निर्देश प्रदान किये गये:-

(क) एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में जो भी सामग्री क्रय की जानी है, सेवाएँ प्राप्त की जानी है तथा निर्माण कार्य कराये जाने हैं, उनकी आवश्यकता का आंकलन संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा करते हुए प्रस्ताव अपर निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के माध्यम से निदेशक को प्रेषित किया जाएगा। यदि निदेशक का यह समाधान है कि प्रश्नगत सामग्री, सेवा तथा निर्माण कार्य संस्थान के हित में कराया जाना आवश्यक है, तो निदेशक की सहमति के उपरान्त वित्तीय नियमों के अनुसार प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही की जाएगी।

उक्त कार्यवाही के पश्चात वित्त अधिकारी द्वारा प्रश्नगत सामग्री, सेवा तथा निर्माण कार्य जैसी भी स्थिति हो, के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपर निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के माध्यम से निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ख) फाइनेंशियल हैण्ड बुक के प्राविधानों के अनुसार यदि निदेशक, वित्त

अधिकारी के मत से सहमत नहीं है तो निदेशक अपनी टिप्पणी/अभिमत के साथ उसको अस्वीकार कर सकते हैं। यदि निदेशक को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रकरण पर शासन के वित्त विभाग के परामर्श की आवश्यकता है तो निदेशक द्वारा प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग (चिकित्सा शिक्षा) को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) भविष्य में संस्थान हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री, प्राप्त की जाने वाली सेवा तथा निर्माण कार्यो में उक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि निदेशक संस्थान को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने में कोई बाधा है तो इस सम्बन्ध में कारणों का उल्लेख करते हुए सुसंगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Digitally signed by
ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 19.09.2025
18:04:30

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-I/1095424/2025/71-2099(099)/3/2025

लखनऊ:दिनांक-19-09-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

2-निजी सचिव, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3-निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।

4-अपर निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।

5-वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।

आज्ञा से,

Digitally signed by
GYANENDRA KUMAR SHUKLA
Date: 19-09-2025 18:10:30

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।